रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II —Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 82] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 20, 1989/फाल्गुन 1, 1910
No. 82] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 20, 1989/PHALGUNA 1, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 20 फरवरी, 1989

का. आ. 141(अ) — स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 31 के पहले परन्तुक के खण्ड (iii) धारा 8 की उप धारा (6) और धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 116 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए मैं, के. जे. रेड्डी, प्रशासक इस राय का होते हुए कि इसमें विनिर्दिष्ट वर्ग के मामलों की विशेष परिस्थितियों में, लोकहित में, यह आवश्यक और समीचीन है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 660 (अ) तारीख 8 जून, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करता हूं अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना के खण्ड (i) के अन्त में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा।

2. उक्त अधिसूचना के खण्ड (ii) के अन्त में "और" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त अधिसूचना में खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :—

"(iii) ऐसा अनुज्ञप्त व्यौहारी इस प्रकार अर्जित प्राथमिक स्वर्ण का प्रमाणित स्वर्णकार को मानक स्वर्ण शलाका के रूप में विक्रय, परिदान, अन्तरण कर सकेगा या अन्यथा व्ययन कर सकेगा अथवा मानक स्वर्ण शलाका का प्रमाणित स्वर्णकार अथवा कारीगर को आभूषणों में संपरिवर्तन करने के प्रयोजन के लिए इस शर्त के साथ परिदान कर सकेगा कि पश्चात्वर्ती ऐसे आभूषणों को अनुज्ञप्त व्यौहारी को वापस कर दिया जाए। आगे वही अनुज्ञप्त व्यौहारी स्वर्णकार या कारीगर द्वारा उसको वापस किए गए आभूषणों का विक्रय परिदान अन्तरण या अन्यथा व्ययन भी कर सकेगा।"

(iv) "ऐसा अनुज्ञप्त व्यौहारी प्राथमिक स्वर्ण का मानक स्वर्ण शलाकाओं के रूप में दूसरे अनुज्ञप्त व्यौहारी को विक्रय परिदान अन्तरण या अन्यथा व्ययन नहीं करेगा, ऐसा वह उक्त खण्ड (iii) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार ही करेगा, अन्यथा नहीं।"

4. उक्त अधिसूचना के परन्तुक में खण्ड (ख) और खण्ड (ग) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 131/20/85-जी सी (भाग फाईल)/अधिसूचना सं. 1/89]

के. जे. रेड्डी, स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 1989

S.O. 141 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 115, read with clause (iii) of the first proviso to section 31,

sub-section (6) of section 8 and sub-section (2) of section 9, of the Gold Control Act, 1968 (45 of 1968), I, K. J. Reddy, Administrator, being of the opinion that special circumstances of the class of cases specified herein so require, it is necessary and expedient in the public interest, hereby make the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) S. O. 550 (E) dated the 8th June, 1988, namely :—

1. In clause (i) of the said notification the word "and" appearing after the words "at New Delhi, Calcutta, Bombay and Madras ;" shall be omitted.

2. In clause (ii) of the said notification for the words, brackets and letters "clause (i) above ;" the words, brackets and letters "clause (i) above; and" shall be substituted.

3. In the said notification after clause (ii), the following clauses shall be inserted, namely :—

"(iii) such licensed dealer may sell, deliver, transfer or otherwise dispose of primary gold so acquired to a certified goldsmith in the form of standard gold bar or may deliver the standard gold bar to a certified goldsmith or artisan for the purpose of conversion into ornaments with a condition of the subsequent return of such ornaments to the licensed dealer. Further, the same licensed dealer may also sell, deliver, transfer or otherwise dispose of ornaments returned to him from the goldsmith or artisan to any other licensed dealer."

"(iv) such licensed dealer shall not sell, deliver, transfer or otherwise dispose of the primary gold in the form of standard gold bars to another licensed dealer except in accordance with the provisions contained in clause (iii), above."

4. In the proviso to the said notification clauses (b) and (c) shall be omitted.

[F. No. 131|20|85-GC (Part File)|Notification No. 1|89.]

K. J. REDDY, Gold Control Administrator

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989